

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2024

सा. का. नि. .... (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचना का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 16- सीमाशुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1965, संख्यांक सा.का.नि. 126(अ) तारीख 25 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
2.	अधिसूचना सं. 89- सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, संख्यांक सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
3.	अधिसूचना सं. 46- सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, संख्यांक सा.का.नि. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
4.	अधिसूचना सं. 284- सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, संख्यांक सा.का.नि.	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।



13.	अधिसूचना सं. 50/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
14.	अधिसूचना सं. 51/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
15.	अधिसूचना सं. 25/98- सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
16.	अधिसूचना सं. 25/99- सीमाशुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1999, संख्यांक सा.का.नि. 161(अ), तारीख 28 फरवरी, 1999 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, दूसरे परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
17.	अधिसूचना सं. 97/99- सीमाशुल्क, तारीख 21 जुलाई, 1999, संख्यांक सा.का.नि. 727(अ), तारीख 21 जुलाई, 1999 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
18.	अधिसूचना सं. 25/2002- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2002, संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च 2002 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, शुरुआती पैराग्राफ में, दूसरे परंतुक में अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
19.	अधिसूचना सं. 113/2003- सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैराग्राफ में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
20.	अधिसूचना सं. 30/2004- सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
21.	अधिसूचना सं. 45/2005- सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 2005, संख्यांक सा.का.नि.	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

	318(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	
22.	अधिसूचना सं. 81/2005- सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
23.	अधिसूचना सं. 102/2007- सीमाशुल्क, तारीख 14 सितंबर, 2007, संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 14 सितंबर, 2007 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
24.	अधिसूचना सं. 26/2011- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
25.	अधिसूचना सं. 23/2016- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016, संख्यांक सा.का.नि. 217(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
26.	अधिसूचना सं. 05/2017- सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
27.	अधिसूचना सं. 16/2017- सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
28.	अधिसूचना सं. 29/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 764(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
29.	अधिसूचना सं. 30/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

30.	अधिसूचना सं. 32/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
31.	अधिसूचना सं. 37/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
32.	अधिसूचना सं. 49/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
33.	अधिसूचना सं. 52/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में, अंक और शब्द "31 मार्च, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[फा. सं. 190352/01/2024-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव

टिप्पण:

1. मूल अधिसूचना सं.-16-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 1965, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 779(अ) 23 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।









18. मूल अधिसूचना सं.-25/2002-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2002, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 122(अ), तारीख 1 मार्च 2002 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 06/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 71(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

19. मूल अधिसूचना सं.-113/2003-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

20. मूल अधिसूचना सं.-30/2004-सीमाशुल्क, तारीख 28 जनवरी, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 81(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

21. मूल अधिसूचना सं.-45/2005-सीमाशुल्क, तारीख 16 मई, 2005 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 318(अ), तारीख 16 मई, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

22. मूल अधिसूचना सं.-81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 77(अ), तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

23. मूल अधिसूचना सं.-102/2007-सीमाशुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 598(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 12/2023-सीमाशुल्क, तारीख 1 फरवरी 2023 द्वारा अंतिम बार



